मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpmandiboard.gov.in ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/नियमन/हम्माल-तुलवाटी/248/ 1108 भोपाल, दिनांक 28 02.2025

कार्यवाही विवरण

अपर संचालक महोदय की अध्यक्षता में, मंडी समितियों में नियमन व्यवस्था अंतर्गत विभिन्न बिन्दुओं की समीक्षा बैठक दिनांक 19/11/2024 समय दोपहर 12:00 बजे को आहूत की गई||उक्त बैठक में निम्नानुसार मुख्यालय, आंचलिक कार्यालय तथा मंडी समितियों के अधिकारी भी उपस्थित रहे :-

1. श्री आर आर अहिरवार, अपर संचालक (वित्त)
2. सुश्री संगीता ढोके, संयुक्त संचालक (नियमन)
3. श्री नितिन कोल्हे, उप संचालक (स्थापना)
4. श्री पीयूष शर्मा,सहायक संचालक (प्रांगण)
5. श्री अविनाश पाठे, सहायक संचालक (नियमन)
6. श्रीमती ऋतु चौहान, संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय भोपाल
7. श्रीमती प्रवीणा चौधरी, संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय, इंदौर
8. श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ, संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय, उज्जैन
9. श्री आर पी चक्रवर्ती, संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय, ग्वालियर
10. श्री एस के कुमरे, संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय, सागर
11. श्री एच आर लारिया, संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय, जबलपुर एवं रीवा
12. श्री सुनील कुमार भालेकर सचिव, कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा
13. श्री नरेश परमार, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति इंदौर
14. श्री ओ पी खेड़े, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति खंडवा
15. श्रीमती शर्मिला निनामा, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति खरगोन
16. श्री नरेंद्र मेश्राम, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति शुजालपुर
17. श्री रामवीर किरार, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति जावरा
18. श्री उदयभानु चतुर्वेदी, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति गुना
19. श्री करुणेश कुमार तिवारी, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति सतना

बैठक में निम्नानुसार चर्चा हुई -

1. 50 किलोग्राम भरती का प्रावधान।

इस बिंदु पर आंचलिक अधिकारी एवं मंडी सचिवों द्वारा अवगत कराया गया कि हम्माल एवं व्यापारी द्वारा जो दर प्रति क्विंटल पर निर्धारित होती है, परंतु हम्माल द्वारा दो बार कार्य करने पर उनके द्वारा दर प्रति क्विंटल की जगह प्रति बारदाना की मांग की जाती

है, हम्माल के अनुसार हम्माली काफी श्रम घनिष्ठ कार्य है, इसलिए दर भी प्रति बारदाना के स्वरुप होना आवश्यक है| इसके साथ ही सचिव शुजालपुर द्वारा अवगत कराया गया की विवाद करने वाले हम्मालो को अनुज्ञप्ति नहीं दी जा रही है|

2. **एमपी फार्मगेट एप में हुए संव्यवहार में तुलावटी की आवश्यकता / औचित्य एवं इसे अनिवार्य किए जाने पर व्यावहारिक कठिनाई। एमपी फार्मगेट एप में हुए संव्यवहार में कृषक को कोई प्रभार देय नहीं होना तथा तौल भी क्रेता-विक्रेता की सहमति से होना।**

इस बिंदु पर मंडी सचिव इंदौर द्वारा अवगत कराया गया कि तुलाई का कार्य वास्तव में मंडी अनुज्ञप्ति तुलावटी द्वारा नहीं की जाती है| जब कृषक और व्यापारी के आपसी समझ पर मूल्य तय किया जा सकता है तो वजन भी उनके द्वारा मान्य किया जाना चाहिए|

संयुक्त संचालक ग्वालियर एवं सहायक संचालक (IT) द्वारा तुलाई का कार्य तुलावटी द्वारा होना जरूरी है, अन्यथा व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है|

मंडी सचिव जवारा द्वारा अवगत कराया गया कि कृषक के उपज के मूल्य में हम्माल-तुलावटी प्रभार शामिल होता है|

चर्चा में यह निर्णय लिया गया की BOT तौलकांटे की पर्ची (ऑप्शनल) को मान्य किया जाए एवं तुलावटी को भी रखा जाना योग्य है|

3. **तुलावटी के द्वारा वास्तविक रूप से कार्य नहीं करने की स्थिति में तुलावटी प्रभार अधिरोपण का औचित्य।**

इस बिंदु पर जो कार्य वास्तविकता में किया जाएगा उसक तुलावटी प्रभार देय होगा|

4. **हम्माल तुलावटी के लिए अधितकम आयु सीमा में वृद्धि की संभावना।**

इस बिंदु पर अधितकम आयु सीमा में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया गया एवं 62 वर्ष अधितकम आयु सीमा रखने पर सहमति दी गई|

5. **हम्माल तुलावटी संघ द्वारा रिटायरमेंट फंड, पेंशन दिए जाने की मांग।**

इस बिंदु पर सहायक संचालक (प्रांगण) द्वारा अवगत कराया गया की योजना लागू है, परंतु हम्माल-तुलावटी द्वारा लाभ नहीं लिया जा रहा है|

6. **तुलावटी संघ द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग।**

इस बिंदु पर चर्चा नहीं की जा सकती है|

7. **कृषकों के द्वारा स्वयं कार्य (हम्माली संबंध) करने की स्थिति में कृषक से कोई भी प्रभार नहीं लिए जाने का प्रावधान किए जा सकने की संभावना।**

इस बिंदु पर जो कार्य वास्तविकता में किया जाएगा उसक प्रभार देय होगा|

8. **प्रदेश की सभी मंडियों के लिए हम्माल तुलावटी प्रभारों की एक समान दरों का निर्धारण।**

इस बिंदु पर आंचलिक अधिकारी एवं मंडी सचिवों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रभारों की एक समान दरों का निर्धारण पर विवाद उत्पन्न हो सकता है| इसलिए दर का

निर्धारण मंडी समिति की बैठक में लिए गाये निर्णय अनुसार होना चाहिए।

9. मंडी समिति हरपालपुर में तुलावटी दरों का निर्धारण।

इस बिंदु पर संयुक्त संचालक सागर द्वारा अवगत कराया गया कि दर निर्धारण के समय हम्माल-तुलावटी द्वारा स्थानीय जन प्रतिनिधि की अध्यक्षता में आहूत बैठक में उनके अनुसार निर्णय पारित करा लिया गया है। इस पर पुनः दर निर्धारण हेतु अधिक से अधिक व्यापारी एवं कृषक संगठन को आमंत्रित कर बैठक किया जाना योग्य है।

10. मंडी समिति गंजबासौदा में व्यापारी संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन (संलग्न)।

इस बिंदु पर मंडी सचिव गंजबासौदा द्वारा अवगत कराया गया कि व्यपारी एवं कृषको द्वार 10 MT के Weighbridge की मांग राखी गई है। इस पर संयुक्त संचालक भोपाल एवं मंडी सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि किस प्रक्रिया के तहत BOT लगाये जाने है, जिसपर सहायक संचालक (प्रांगण) द्वारा अवगत कराया गया 2023 का आर्डर 2019 के आर्डर का ही Extension ही है, प्रक्रिया जो पूर्व मे प्रचलित है वह यथावत है।

इसके अतिरिक्त संयुक्त संचालक उज्जैन द्वारा अवगत कराया गया कि कृषको द्वार 10 MT के Weighbridge की मांग की जाती है क्यूंकि 10 MT के Weighbridge में Least Error रहती है और व्यापारी द्वार 40 MT के Weighbridge की मांग की जाती है। दोनों पक्षों के सहमत करने हेतु 10MT-40MT के pair के लगया जाना उचित होगा।

11. मंडी समिति खरगोन अंतर्गत विगत वर्ष में CCI द्वारा कपास उपार्जन में तुलावटी प्रभार की देयता।

इस बिंदु पर मंडी सचिव खरगोन द्वारा अवगत कराया गया कि CCI द्वारा कपास उपार्जन में स्वयं के हम्माल-तुलावटी रहते है। CCI द्वारा कपास उपार्जन में तुलावटी प्रभार नहीं दिया गया है, इस संबंध में सहायक संचालक (प्रांगण) द्वारा कहा गया कि अन्य जिलों में जहाँ पर CCI द्वारा कपास उपार्जन किया गया है, वह से जानकारी लिया जाना उचित होगा।

12. मंडी समिति शुजालपुर में कार्यरत हम्मालों को कार्य से वंचित रखे जाने की वस्तुस्थिति।

इस बिंदु पर मंडी सचिव शुजालपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विवाद करने वाले हम्मालो को अनुज्ञप्ति नहीं दी जा रही है।

13. मंडी समितियों के स्तर पर आ रही अन्य व्यवहारिक कठिनाईयों, यदि कोई हो, के संबंध में चर्चा।

इस बिंदु पर आंचलिक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकतर मंडियों में सचिव पद रिक्त है और जो सचिव है उनके पास एक से अधिक मंडी का चार्ज है, जिससे वः मंडी का कार्य सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है।

14. **तौलकांटों का पोर्टल से इंटीग्रेशन।**

इस बिंदु पर संयुक्त संचालक (नियमन) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रबंध संचालक के निर्देशनुसार पूर्व में तकनिकी समिति के बैठक की गई थी, जिसमे समस्त आंचलिक अधिकारी एवं मंडी सचिवों से चर्चा की जानी थी| इस पर सबकी सहमति है एवं चीफ प्रोग्रामर से NIC के साथ finalize करने का निर्णय लिया गया|

15. **कृषि उपज की मात्रा में घटती/बढ़ती हेतु पोर्टल पर प्रावधान।**

इस बिंदु पर आंचलिक अधिकारी एवं मंडी सचिवों द्वारा अवगत कराया गया कि पोर्टल पर कृषि उपज की मात्रा में घटती/बढ़ती का प्रावधान करने पर व्यवहारिक कठिनाईयों आ सकती है, जिमसे मंडी शुल्क के अपवंचन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है|मंडी सचिव इंदौर के अनुसार कृषि उपज की मात्रा में घटती/बढ़ती हेतु पोर्टल पर प्रावधान मंडी सचिव के लॉग इन पर दिया जाना उचित होगा, जोकि Physical Verification के बाद ही किया जा सकता है| अपर संचालक महोदय ने Filed Verification for Negative Impact के निर्देश दिए गए|

16. **eNAM अंतर्गत प्राप्त अनुदान एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र।**

इस बिंदु पर समस्त आंचलिक कार्यालयों से DPR एवं Balance Amount की जानकारी जल्द से जल्द मुख्यालय में इ-नाम को दी जाने के निर्देश दिए गए|

17. **कृषक भुगतान एवं मंडी फीस आदि के भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे विकसित किया जाना।**

इस बिंदु पर सहायक संचालक (IT) द्वारा अवगत कराया गया कि पेमेंट गेटवे के संवंध में वित्त शाखा की ओर से RFP तैयार किया गया है, जोकि Same Day Payment हो सकेगा, जिससे Ease of Doing Business अंतर्गत व्यापारी , कृषको एवं सभी कृत्कारियों को लाभ होगा|

18. **फल सब्जी मंडी गेट पर निर्गम गेट पर QR Code (पेमेंट गेटवे से लिंक्ड) के माध्यम से मंडी फीस का संग्रहण।**

इस बिंदु पर मंडी सचिव इंदौर द्वारा अव्यवस्था होने क उल्लेख किया गया| उनके अनुसार आढ़तियों से ही लिया जाना उचित होगा, आढ़तियों को जिम्मेदारी दिया जाना होगा| आढ़तियों मंडी फीस संग्रहण के लिए उपविधि में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी| QR Code (पेमेंट गेटवे से लिंक्ड) को Optional रखने पर विचार किया जा सकता है| Trial Basis पर मंडी भी चयनित करने हेतु विचार|

19. **फल सब्जी विपणन में पेमेंट गेटवे के माध्यम से आढ़त का भुगतान।**

इस बिंदु पर पेमेंट गेटवे विकसित होने पर उचित कार्यवाही की जा सकती है|

20. **लेखा सत्यापन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया।**

इस बिंदु पर सहायक संचालक (IT) द्वारा अवगत कराया गया कि ई-अनुज्ञा पोर्टल पर Fortnightly/Annual Reports के पेज डेवेलोप किया जाना है। 50 लाख से ज्यादा का वार्षिकी व्यापर होने पर Chartered Accountant से सत्यापन करने की आवश्यकता के लिए भी पोर्टल पर सुविधा दिया जाना उचित होगा।

21. **मंडी की पुरानी लंबित वसूलियों का निराकरण (अन्य कराधान विभागों की विवाद से विश्वास योजना अनुसार)।**

इस बिंदु पर सहायक संचालक (IT) द्वारा अवगत कराया गया कि पुरानी लंबित वसूलियों का जल्द से जल्द निराकरण के लिए वसूली का कुछ अंश सचिव एवं तहसीलदार को दिया जाने से वसूली की कार्यवाही में प्रगति देखि जा सकती है। बैंक द्वारा वसूली के सिस्टम का Review भी किया जा सकता है।

22. **प्रबंध संचालक के अपीलीय अधिकारों का आंचलिक अधिकारियों को प्रत्यायोजन।**

इस बिंदु पर समस्त संयुक्त संचालकों ने सहमति व्यक्त की गई।

28/2/25

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/नियमन/हम्माल-तुलवाटी/ 1109 **भोपाल, दिनांक** 28 **02.2025**

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर संचालक/संयुक्त/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
4. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला.......................(समस्त)।

28/2/25

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल